

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)  
समाहर्ता या समुचित सरकार  
-:प्रारंभिक अधिसूचना:-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1222/भू अ०

दिनांक : 31/7/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बरमसिया, थाना-चितरा, थाना सं०-494, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा-फुटानी चौक-डीगरी-डुमरिया मोड़-महापुर पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बरमसिया, थाना-चितरा, थाना सं०-494, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.355 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	77	रैयती	बाड़ी-2	0.045	अशोक राय, पे०-स्व० राम प्रसाद राय वो प्रदीप राय वो संजय राय वो विमल राय, पे०-स्व० कामदेव राय वो विष्णु राय, पे०-स्व० गोनो राय वो उत्तम राय, पे०-स्व० अविनाश राय वो नरसिंग राय वो बिहारी राय वो सुमन राय वा हरिहर राय, पे०-स्व० दामोदर राय, नि०गोविन्दपुर				
2	10	76	रैयती	बाड़ी-2	0.045	तथैव				
3	10	74	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव				
4	3	73	रैयती	बाड़ी-2	0.05	अमित राय वो मुरली राय वो मिथलेश राय, माता स्व० शांति देव्या ज०रै० कौम-भूमिहार ब्रह्मण।				
5	3	75	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव				
6	14	41	रैयती	बाड़ी-2	0.07	प्रहलाद राय वो प्रमेश्वर राय वो प्रमानन्द राय, पे० स्व० जयदेव राय वो बालेश्वर राय, पे०स्वसितल राय वो हरिलाल राय, पे० स्व० नागेश्वर राय वो युधिष्ठिर राय वो ब्रह्मा राय वो विरेन्द्र राय वो हेमान्सु राय, पे० स्व० भवदेव राय नि० नि० ग्रा०				
7	14	40	रैयती	बाड़ी-2	0.015	तथैव				
8		72	रैयती	बाड़ी-2	0.06	मुस्तवाहा				
कुल रकवा-					0.355					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
26-7-21

उपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक .....1222/ भू अ0, देवघर, दिनांक .....31/7/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
26-7-21

उपर समाहर्ता,  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।